मध्य प्रदेश अधिनियम
2003 की संख्या 23

इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र
(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2003

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा 28 मार्च, 2003 को पारित

मध्य प्रदेश अधिनियम
2003 की संख्या 23

इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र
(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2003

विषय सूची

अध्याय-1
प्रारंभिक

खंड:

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ

2. परिभाषाएं

अध्याय-2
विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

3. विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य
4. विकास आयुक्त मुख्य मध्यस्थ होगा
5. विकास आयुक्त की सहायता के लिए अधिकारियों का नामांकन

अध्याय-3
एसईजेड का विकासक

6. विकासक की नियुक्ति
7. एसईजेड के लिए भूमि

अध्याय-4
विकासक की शक्तियां एवं कार्य

8. विकासक के कार्य
9. भूमि तथा प्रभार लगाने के संबंध में विकासक की शक्ति
10. विकासक द्वारा अवसंरचना या सुविधा के लिए प्रावधान

11. विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

अध्याय-5

विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप होगा

12. एसईजेड की औद्योगिक टाउनशिप एरिया के रूप में घोषणा

अध्याय-6

राज्य करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

13. राज्य करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

अध्याय-7

विविध

14. यह अधिनियम अन्य कानूनों पर अधिभावी होगा
15. सदाशयता में किए गए कार्य का संरक्षण
16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
17. नियम बनाने की शक्ति
18. विनियम बनाने की शक्ति
19. बचाव

मध्य प्रदेश अधिनियम
2003 की संख्या 23

इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र
(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2003

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा 28 मार्च, 2003 को पारित

मध्य प्रदेश अधिनियम
2003 की संख्या 23

इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2003

मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रशासन के लिए तथा इससे संबंधित मामलों का प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा इसे भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया गया, -

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ

(1) **इस अधिनियम को इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2003 कहा जाएगा।**

(2) **यह इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लागू होगा।**

(3) **यह ऐसी तिथि को प्रभावी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है।**

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) **"सुविधाओं'' का अभिप्राय सभी बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं से है जिसमें सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, औद्योगिक एवं नगरपालिका अपशिष्ट का संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन सेवाएं सार्वजनिक कार्य, क्लब, बाजार, दुकान तथा आउटलेट एवं ऐसी अन्य सुविधाएं या सेवाएं शामिल हैं;**

(ख) **"प्राधिकरण'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण से है;**

(ग) **"सह विकासक'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसमें एसईजेड में किसी अवसंरचना या सुविधा पूर्णत: या अंशत: विकास करने, निर्माण करने, डिजाइन करने, आयोजन करने, बढ़ावा देने, वित्त पोषण करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण या प्रबंधन करने के लिए विकासक के साथ करार किया है;**

(घ) "सीमांकन संरचना'' का अभिप्राय दीवारों, पिलर या चारदीवारी को परिभाषित करने वाली किसी अन्य संरचना से है;

(ङ) "विकास आयुक्त'' का अभिप्राय ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा एसईजेड के लिए विकास आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है;

(च) "विकासक'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अवसंरचना का पूर्णत: या अंशत: विकास करता है, निर्माण करता है, डिजाइन करता है, आयोजन करता है, बढ़ावा देता है, वित्त पोषण करता है, प्रचालन करता है, अनुरक्षण या प्रबंधन करता है तथा एसईजेड में सुविधाएं प्रदान करता है;

(छ) "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र'' का अभिप्राय इस अधिनियम के लिए एसईजेड के क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से होगा;

(ज) "अवसंरचना'' में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक या आवासीय अवसंरचना या कोई सुविधा शामिल है;

(झ) "भूमि'' का अभिप्राय एसईजेड के अंदर स्थित किसी भूमि से है;

(ञ) "अधिभोक्ता'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी साइट या भवन का अधिभोक्ता है तथा इसमें उसके प्राधिकारी, वारिस तथा प्रशासक शामिल हैं;

(ट) "ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर स्थित किसी यूनिट से है जो विकासक, सह विकासक, अधिभोक्ता या निवासी को माल या सेवाएं या दोनों प्रदान करती है;

(ठ) "प्रचालक'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना या कोई सुविधा प्रदान करने के लिए विकासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ड) "विशेष आर्थिक क्षेत्र'' या "एसईजेड'' का अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है;

(ढ) "यूनिट'' का अभिप्राय किसी उपक्रम या उसके भाग से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय का प्रचालन करने के लिए स्थान का अधिभोक्ता है जो विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित है;

(ण) "मूल्य वृद्धि'' में ऐसी कोई गतिविधि शामिल है जो कुछ प्रक्रिया, शोधन और/या श्रम के फलस्वरूप किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन लाती है तथा वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्य वृद्धि के साथ एक नई एवं भिन्न वस्तु में परिवर्तित होती है तथा इसमें पैकेजिंग भी शामिल होगी।

अध्याय-2

विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

3. विकास आयुक्त शक्तियां एवं कार्य

(1) विकास आयुक्त एसईजेड के विकास शामिल एजेंसियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा, निगरानी करेगा और समन्वय करेगा तथा ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर उसे सौंपे जा सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकास आयुक्त एसईजेड में यूनिटों की स्थापना एवं प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन, स्वीकृतियां, लाइसेंस, अनुज्ञप्तियों तथा अन्य प्राधिकार प्रदान करने के लिए एकल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा जो राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।

(3) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 23) में किसी बात के होते हुए भी, विकास आयुक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से फर्शी क्षेत्र इंडेक्स, ग्राउंड कवरेज, ग्रीन स्पेस तथा भूमि के अन्य प्रयोगों सहित नगर आयोजना एवं शहरी विकास के संबंध में विनियम बनाएगा तथा एसईजेड के विकास की योजना को अनुमोदित करेगा तथा अनुमोदित योजना के अनुपालन की निगरानी करेगा।

(4) विकास आयुक्त, -

(क) प्रदान किए गए लाइसेंसों, अनुज्ञप्तियों तथा स्वीकृतियों की शर्तों के अनुपालन का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगा;

(ख) यूनिट से लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति की शर्तों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए अपेक्षित कोई सूचना मंगाएगा; और

(ग) इस प्रकार प्रदान किए गए किसी लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति की किसी शर्त एवं नियम का पालन न होने के लिए संगत राज्य कानून के तहत उपयुक्त कदम उठाएगा।

4. विकास आयुक्त मुख्य मध्यस्थ होगा

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1976 की संख्या 27) में किसी बात के होते हुए भी विकास आयुक्त एसईजेड के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुख्य मध्यस्थ होगा।

5. विकास आयुक्त की सहायता के लिए अधिकारियों का नामांकन

राज्य सरकार विकास आयुक्त की सहायता के लिए किसी विभाग या संस्था या संगठन के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को नामित कर सकती है जिसे यह उपयुक्त समझे।

अध्याय-3
एसईजेड का विकासक

6. विकासक की नियुक्ति

(1) **राज्य सरकार एसईजेड के विकास के लिए विकासक की नियुक्ति करेगी।**

(2) **विकासक की नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जा सकती है।**

7. एसईजेड के लिए भूमि

(1) **राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित, अधिग्रहीत या स्वामित्व वाली भूमि को राज्य सरकार विकासक को ऐसी शर्तों एवं नियमों पर अंतरित कर सकती है जिसे राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।**

(2) **विकासक क्रय, पट्टा या अन्यथा के माध्यम से निजी पक्षों से स्वतंत्र रूप से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है।**

(3) **मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 1959 में किसी बात के होते हुए भी एसईजेड के अंदर स्थित तथा भूमि स्वामी अधिकार में धारित सभी भूमि को ऐसी भूमि के कब्जा के विकासक को अंतरण की तिथि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए अंतरित की गई भूमि के रूप में समझा जाएगा।**

अध्याय-4
विकासक की शक्तियां एवं कार्य

8. विकासक के कार्य

(1) **विकासक एसईजेड का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करेगा और एसईजेड की अवसंरचना एवं सुविधाओं की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रावधान करेगा।**

(2) **उपधारा (1) के प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकासक निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात –**

i. **विकास आयुक्त द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में एसईजेड के विकास के लिए योजना तैयार करना और उनका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी योजना को लागू करना;**

ii. **योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य प्रयोजनों के लिए स्थल निर्धारित करना और उनका विकास करना;**

iii. **ऐसे भूखंडों, भवनों या स्थापनाओं के संबंध में अपने स्वयं के स्वत्व के अधीन औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या अन्य प्रयोजनों के लिए बिक्री या पट्टा या अन्यथा के माध्यम से भूखंडों, भवनों या स्थापनाओं का आवंटन एवं अंतरण करना;**

iv. **विकास आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित योजना के अनुसरण में भवनों के स्थापन एवं उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;**

v. **स्वयं या इस संबंध में स्वयं द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना एवं सुविधाओं का विकास करना, निर्माण करना, संस्थापित करना, प्रचालित करना, प्रबंधन करना और अनुरक्षण करना;**

vi. **एसईजेड तथा उसके किसी भाग की सीमा निर्धारित करना और ऐसे ढंग से सीमांकन संरचनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण करना जो निर्धारित हो सकता है; और**

vii. **ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं।**

9. भूमि तथा प्रभार लगाने के संबंध में विकासक की शक्ति

(1) **विकासक समय – समय पर बिक्री, पट्टा या अन्यथा के माध्यम से भवन, भूमि या संस्थापनों के लिए दरें नियत कर सकता है।**

(2) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई सुविधा एवं अवसंरचना प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के प्रयोजनार्थ विकासक किसी भूमि, भवन, संस्थापन या किसी अन्य अवसंरचना के संबंध में उसके अधिभोक्ता से ऐसे प्रभार वसूल कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।**

10. विकासक द्वारा अवसंरचना या सुविधा के लिए प्रावधान

(1) **विकासक अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने के लिए किसी सह विकासक, ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता, प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति की तैनाती कर सकता है।**

(2) **जहां कोई अवसंरचना या सुविधा प्रदान की जाती है, विकासक को इस प्रकार प्रदान की जाने वाली सेवा के प्रयोग के बदले में प्रभार लगाने की शक्ति होगी।**

(3) **विकासक अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी को सेवाओं के प्रयोग के बदले में प्रभारों की वसूली करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।**

11. विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

(1) **मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (2001 की संख्या 4) या विद्युत से संबंधित किसी अन्य राज्य कानून में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित प्रावधान एसईजेड में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति एवं बिक्री पर लागू होंगे, अर्थात –**

i. **विकासक या सह विकासक या विकास आयुक्त द्वारा इस रूप में नामित किसी अन्य व्यक्ति को एसईजेड में ऐसे स्रोतों से एसईजेड में ऊर्जा की आवश्यकताओं का क्रय करने के प्राधिकार के साथ विद्युत के पारेषण, वितरण, आपूर्ति एवं बिक्री की गतिविधियां संचालित करने के लिए लाइसेंस धारक के रूप में समझा जाएगा जो एसईजेड के विकास के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल समझा जा सकता है।**

ii. **विकासक या सह विकासक या विकास आयुक्त द्वारा इस रूप में नामित किसी अन्य व्यक्ति को एसईजेड के अंदर इसकी आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ विद्युत का उत्पादन करने के लिए अनुज्ञप्ति धारक के रूप में समझा जाएगा।**

iii. **एसईजेड में स्थापित यूनिट को ऐसी यूनिट या यूनिटों के कैप्टिव प्रयोग एवं उपभोग या एसईजेड में अन्य यूनिटों को विद्युत की बिक्री एवं आपूर्ति के लिए एसईजेड में अन्य यूनिटों के साथ मिलकर या व्यक्तिगत रूप से विद्युत का उत्पादन करने का अधिकार होगा।**

iv. **एसईजेड में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण, बिक्री, आपूर्ति एवं प्रयोग के लिए प्रशुल्क की शर्तें एवं नियम ऐसे विनियमों के अधीन होंगे जो विकास आयुक्त द्वारा बनाए जा सकते हैं।**

(2) **विकास आयुक्त मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (2001 का 4) के तहत गठित मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के स्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा।**

(3) उपधारा (1) और (2) में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें छोड़कर, मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (2001 की संख्या 4) के तहत गठित आयोग तथा विद्युत प्रणाली के प्रचालन के सिलसिले में अन्य संबंधित प्राधिकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिसमें एसईजेड में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति, बिक्री एवं प्रयोग के संबंध में अनुरक्षित किए जाने वाले सुरक्षा, संरक्षा तथा तकनीकी मानक शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं हैं।

(4) मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (1949 का 9) तथा मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) के तहत विद्युत शुल्क एवं उपकर लगाने के प्रावधान एसईजेड को विद्युत की बिक्री या आपूर्ति तथा एसईजेड के अंदर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं उपभोग पर लागू नहीं होंगे।

अध्याय-5
विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप होगा

12. एसईजेड की औद्योगिक टाउनशिप एरिया के रूप में घोषणा

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 या मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 में कोई बात निहित होने के बावजूद -

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है;

(2) क्षेत्र के आकार तथा विकासक द्वारा एसईजेड में प्रदान की जा रही या प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल अधिसूचना द्वारा एसईजेड को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं;

(3) राज्य सरकार एसईजेड के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है जिसे ऐसी शक्तियां एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

अध्याय-6
राज्य करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

13. राज्य करों, शुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

(1) निम्नलिखित को किसी राज्य कानून के तहत किसी कर, ड्यूटी, शुल्क, उपकर या किसी अन्य लेवी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात –

i. एसईजेड के बाहर निर्यातित या एसईजेड में आयातित कोई माल;

ii. **एसईजेड के अंदर माल का अंतर यूनिट लेन-देन;**

iii. **एसईजेड से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को मूल्यवृद्धि के लिए भेजा गया तथा इसके बाद एसईजेड में वापस आया माल; और**

iv. **सेवाएं जो एसईजेड के अंदर किसी उत्पाद को मूल्यवृद्धि प्रदान करती हैं।**

(2) **एसईजेड के अंदर अचल संपत्ति या इससे संबंधित दस्तावेजों के सभी लेन-देन एवं अंतरण को स्टांप शुल्क से छूट प्राप्त होगी।**

अध्याय-7
विविध

14. यह अधिनियम अन्य कानूनों पर अधिभावी होगा

उस समय लागू किसी अन्य राज्य कानून में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

15. सदाशयता में किए गए कार्य का संरक्षण

किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) **यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं :**

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने से 2 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा जाएगा।

17. नियम बनाने की शक्ति

(1) **अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।**

(2) विशेष रूप से तथा पूववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात :

(i) **विकासक के चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया;**

(ii) **राज्य सरकार तथा उसकी एजेंसियों की ऐसी शक्तियां एवं कार्य जो विकास आयुक्त को सौंपे जाने हैं;**

(iii) **सीमांकन संरचनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए मानदंड; और**

(iv) **कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।**

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

18. विनियम बनाने की शक्ति

(1) **विकास आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली से असंगत नहीं होंगे।**

(2) **विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर ऐसे विनियम निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात :**

i. **इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित सभी मामले जो धारा 3 की उपधारा (3) के तहत विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं;**

ii. **धारा 11 के तहत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण, बिक्री, आपूर्ति एवं प्रयोग की शर्तें एवं नियम; और**

iii. **धारा 11 के तहत विद्युत टैरिफ का निर्धारण।**

19. अन्य कानूनों के प्रचालन से बचाव

इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी :

(1) किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त, प्रोद्भूत या उत्पन्न कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या देयता;

(2) किसी अन्य कानून के तहत उत्पन्न कोई दंड, जब्ती या दंड;

(3) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या देयता के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या निदान; और

(4) ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या निदान इस तरह शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, और ऐसा कोई दंड, व्यक्ति या दंड लगाया जा सकता है, मानो कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश के लिए स्थिर नीति प्रदान करने के उद्देश्य से उपयुक्त कानून अधिनियमित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित कानून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करके निवेशकों को आकर्षित करेगा और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा तथा निवेश को सुगम भी बनाएगा।

अत: यह अधिनियम।

प्रभारी सदस्य

भोपाल,
दिनांक : 28 मार्च, 2003